

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित लोक सेवक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्नांकित लोक सेवक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) प्रावधानान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं की प्रार्थना पर इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	लोक सेवक का नाम व पदस्थापन स्थान	पद	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने की दिनांक
1.	श्रीमती उर्मिला यादव प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुण्डावर (अलवर) वरि.क्रमांक 1039/2008-09	प्रधानाचार्य	10.04.59	30.09.85	01.12.18

(नथमल डिंडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-3/उर्मिला यादव/2018/15 दिनांक : 12.11.2018
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, अलवर ।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुण्डावर (अलवर)
6. श्रीमती उर्मिला यादव प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुण्डावर (अलवर)
7. प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा ।
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर